

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.14(9)वित्त/नियम/2013पार्ट-IV

जयपुर, दिनांक 6 DEC 2017

समस्त विभागाध्यक्ष,
राजस्थान सरकार।

विषय :- मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का विवरण
भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों के पुनर्गठन की समीक्षा किये जाने के संबंध में विभाग में स्वीकृत पदों एवं उनके विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों का विवरण निम्नलिखित प्रपत्र में भिजवाने का श्रम करें:-

(i) विभागाध्यक्ष कार्यालय में स्वीकृत पद

क्रम सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	कनिष्ठ सहायक		
2.	वरिष्ठ सहायक		
3.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी		
4.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी		
5.	प्रशासनिक अधिकारी		
6.	संस्थापन अधिकारी		

(ii) संभाग स्तर पर स्वीकृत (प्रत्येक संभागवार सूचना)

क्रम सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	कनिष्ठ सहायक		
2.	वरिष्ठ सहायक		
3.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी		
4.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी		
5.	प्रशासनिक अधिकारी		
6.	संस्थापन अधिकारी		

(iii) जिला स्तर पर स्वीकृत (प्रत्येक जिलेवार सूचना)

क्रम सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	कनिष्ठ सहायक		
2.	वरिष्ठ सहायक		
3.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी		
4.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी		
5.	प्रशासनिक अधिकारी		
6.	संस्थापन अधिकारी		

(iv) ब्लॉक स्तर पर स्वीकृत (प्रत्येक ब्लॉकवार सूचना)

क्रम सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	कनिष्ठ सहायक		
2.	वरिष्ठ सहायक		
3.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी		
4.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी		

(v) अन्य कोई कार्यालय (प्रत्येक कार्यालयवार विवरण)

क्रम सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	कनिष्ठ सहायक		
2.	वरिष्ठ सहायक		
3.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी		
4.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी		

उपरोक्त विवरण के आधार पर निम्न सार भिजवावें :-

क्रम सं.	पदस्थापन स्थान	कार्यालयों की संख्या	संस्थापन अधिकारी		प्रशासनिक अधिकारी		अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी		सहायक प्रशासनिक अधिकारी		वरिष्ठ सहायक		कनिष्ठ सहायक	
			स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद
(i)	विभागाध्यक्ष													
(ii)	संभाग स्तर पर													
(iii)	जिला स्तर पर													
(iv)	ब्लॉक स्तर पर													
(v)	अन्य कार्यालय													

उपरोक्तानुसार 15 दिवस की अवधि में वित्त (नियम) विभाग में आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय,

(महेन्द्र सिंह भूकर)

संयुक्त शासन सचिव -I,
वित्त (नियम)